

राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रेषण 10/11/22

12.03.2022

दिनेश  
वच  
~~...~~

पत्रावली प्रेषण हुई। आवेदनपत्र उपस्थित। पत्रावली में पूर्व में ही परिवारीगण का इकठाला राखा गया चुका है। जिसमें परिवारीगण द्वारा वारी के बाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री करने का बत निवेदन किया है। तहसीलदार वसेही द्वारा भी वारी पत्र को स्वीकार करना अधिक अवकाश है अतः संगत दस्तावेज, इकठाला एवं तहसीलदार वसेही के जवाब के आधार पर लोक अदालत की भावना से राखा वारी, स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जा रहा है। विस्तृत रिपोर्ट प्रेषण से लिखवाया गया। पत्रावली 10/11/22 सुमार होकर नम्बर से कम है. शामिल अभिलेखागार है।

दिनेश

12/3/22

उपखण्ड अधिकारी  
वसेही (धौलपुर) राज.

विजेन्द्र शर्मा RJS  
-यायाधिकार- ग्राम-यात्रालय